संख्या- 6 /2020/ 587/ 46-2-20-102 (14)/ 2019

प्रेषक,

पवन कुमार गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2020

विषय:-उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की चीनी मिलों के तकनीकी सुधार एवं कार्यक्षमता वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में प्राविधानित धनराशि रू.100.00 करोड में से द्वितीय किश्त के रूप में सहकारी चीनी मिल बिलासपुर, तिलहर, महमूदाबाद, बागपत एवं बीसलपुर के तकनीकी अपग्रेडेशन एवं कार्यक्षमता में सुधार हेतु चिन्हित कार्यो को पूर्ण करने के लिये रू.673.06 लाख एवं सहकारी चीनी मिल गजरौला एवं बेलरायॉ के तकनीकी अपग्रेडेशन एवं कार्यक्षमता में सुधार हेतु रू.99.00 लाख कुल रू.772.06 लाख अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. के पत्र संख्या-1205/यूपीएफ/परि.वित्त/तक.अप./20 दिनांक 14.01.2020, संख्या-1235/ यूपीएफ/परि.वित्त /तक.अप./ 2020 दिनांक 06.03.2020 एवं पत्र संख्या-1223/यूपीएफ/परि.वित्त/तक.अप./20 दिनांक 17.02.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की चीनी मिलों के तकनीकी सुधार एवं कार्यक्षमता वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में प्राविधानित धनराशि रू.10000.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 24 सहकारी चीनीमिलों के तकनीकी सुधार एवं कार्यक्षमता वृद्धि हेतु शासनादेश संख्या-14/2019/46-2-19-102(14)/2019 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से रू.5140.00 लाख अवमुक्त किया जा चुका है। उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में सहकारी चीनी मिल बिलासपुर, तिलहर, महमूदाबाद, बागपत एवं बीसलपुर के तकीनकी अपग्रेडेशन एवं कार्यक्षमता में सुधार हेतु चिन्हित कार्यो को पूर्ण करने के लिये रू.673.06 लाख एवं सहकारी चीनी मिल गजरौला एवं बेलरायॉ के तकनीकी अपग्रेडेशन एवं कार्यक्षमता में सुधार हेतु रू.99.00 लाख कुल रू.772.06 लाख (रूपया सात करोड बहात्तर लाख छः हजार मात्र) ऋण के रूप में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है तथा आपको अधिकृत करते है कि कृपया वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-1 के पैरा-209 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आहरित कर उपरोक्त सहकारी चीनी मिलों की कार्यक्षमता में तकनीकी सुधार एवं तकनीकी अपग्रेडेशन हेतु तत्काल उपलब्ध कराएँ:-

- ऋण की वापसी ब्याज सहित 10 वर्ष की अवधि में की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

- ब्याज की दर 14 प्रतिशत वार्षिक होगी तथा नियमित भुगतान किये जाने की दशा में 2.50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। इस प्रकार नियमित भुगतान की दशा में ब्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत (साढे ग्यारह प्रतिशत) होगी।
- मूलधन के प्रतिदान की पहली किश्त धनराशि के आहरण की तिथि से ठीक एक वर्ष बाद देय हो जाएगी। मूलधन का प्रतिदान 10 बराबर वार्षिक किश्तों में किया जाएगा।
- ब्याज की पहली किश्त ऋण आहरण की तिथि से ठीक एक वर्ष बाद देय हो जाएगी। ब्याज का आगणन ऋण आहरण की तिथि से किया जाएगा। मूलधन का प्रतिदान होने के साथ साथ मूलधन के घटते शेष पर ब्याज का आंगणन सम्पूर्ण वर्ष के लिये किया जाएगा।
- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि उसी प्रयोजन के लिये व्यय की जाएगी, जिस हेतु स्वीकृत की गई है।

2- उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. ऋण के आहरण की सूचना उप मुख्य लेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ.प्र. इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे।

3- संघ द्वारा ऋण की किश्तों का भुगतान या उनके द्वारा ब्याज जमा करते हुए उसकी सूचना महालेखाकार कार्यालय को निम्न प्रकार से अवश्य भेजा जाए:-

(1) कोषागार का नाम-
(2) चालान संख्या तथा दिनांक-
(3) जमा धनराशि किश्त ब्याज
(4) लेखाशीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त/ब्याज
(5) शासनादेश संख्या और एस.एल.आर. का सन्दर्भ
(6) पिछले जमा का सन्दर्भ

4- चीनी आयुक्त ऋण आहरण तथा प्रतिदान का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराएँगें।

5- भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जाएगा जब यह सुनिश्चित हो जाए कि संघ ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहें और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करा देंगें।

6- इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/ महालेखाकार को प्रेषित किया जाएगा।

7- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियन्त्रक/ मुख्य/ वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचनल हो तो सम्बन्धित वित्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियन्त्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जाए।

8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज-04-चीनी-101- सहकारी चीनी मिलों के लिये कर्ज-18-सहकारी चीनी मिलों की कार्यक्षमता में सुधार एवं आधुनिकीकरण हेतु कर्ज-30-निवेश/ ऋण के नामे डाला जाएगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-233/दस-2020 दिनांक 25 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(पवन कुमार गंगवार)
विशेष सचिव।

संख्या- 6 /2020/ 587 (1) / 46-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायर्वाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनउ।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र.सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. लखनउ।
(4) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बच्चू लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।